फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री दयाराम **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 39/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं, रेकार्ड पर लिया जाता हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार आराजी नम्बर 848/238 को पूर्ववत् अनुसार सही तरमीम किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 238 में दिनांक 25.10.77 को किये गये क्रमशः आवंटन 2 बीघा 11 बिस्वा एवं 2 बिस्वा के पश्चात् शेष बची भूमि 12 बिस्वा आराजी नम्बर 238 की पूर्वी सीमा पर स्थित थी जो कि तत्कालीन नक्शा शीट में प्रमाणित तरमीम ना होने के कारण आराजी नम्बर 238 के दक्षिण–पश्चिम सीमा पर आरक्षित कर दी गई थी। आंवटन पत्रावलियों पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाद सेगीग्रेशन नये आराजी नम्बर 848/238 रकबा 0.4047 हेक्टेयर एवं 2 बिस्वा भूमि के बाद सेग्रीगेशन नये आराजी नम्बर 849/238 रकबा 0.3237 हेक्टेयर को सही तरमीम किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 848/238 को राजस्व नक्शें में सही तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.रा.अ. का स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गाडवा पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 848/238 को तहसीलदार मावली से प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested